यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून के माह 01.2017 से 12.2017 के लेखा-अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन श्री संजय कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी; श्री दीलीप कुमार मट्टू, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी तथा श्री प्रमोद कुमार चौधरी, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा श्री राकेश कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में दिनांक 08.01.2018 से 27.01.2018 तक सम्पादित की गयी।

भाग-I

1). परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री सुनील कुमार सिन्हा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी; श्री मनीष श्रीवास्तव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 18.01.2017 से 30.01.2017 तक श्री दिनेश कुमार पिपलानी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 12.2015 से 12.2016 तक के लेखा-अभिलेखों की जांच की गयी थी।

2). **(i).** इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून के भौगोलिक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उत्तराखण्ड राज्य के समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं चिकित्सालय आते हैं। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राज्य में जनसामान्य को सस्ती दरों पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के साथ-साथ संचारी एवं गैर-संचारी रोगों की रोकथाम के लिए कृत संकल्प है। साथ ही, राज्य में विभाग के अंतर्गत चल रही समस्त स्वास्थ्य सुविधाओं एवं योजनाओं का कार्यान्वयन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन मुख्य चिकित्सा अधिकारी के क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है।

ii). (अ). विगत वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु लाख में)

वित्तीय वर्ष	आयोजनागत		आयोजनेत्तर		कुल आवंटन	कुल व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)
	आवंटित धनराशि	व्यय धनराशि	आवंटित धनराशि	व्यय धनराशि				
2014-15	31055.10	30487.97	2621.13	2094.62	33676.23	32582.59	---	1093.64
2015-16	35012.09	32678.00	2173.69	1992.84	37185.78	34670.84	---	2514.94
2016-17	35599.62	33412.18	2448.63	2222.34	38048.25	35634.52	---	2413.73
2017-18 (till	0	0	21413.97	19232.10	21413.97	19232.10	---	2181.87

the month 12.2017)								

(ब). Autonomous Bodies की इकाइयों के विगत तीन वर्षो में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैं:

(रु लाख में)

वर्ष	लागू नही	लागू नही	लागू नही
प्रारम्भिक शेष			
वर्ष के दौरान प्राप्तिया (क) केंद्रान्श (ख) राजयांश (ग) अन्य प्राप्तिया			
व्यय			
अंतिम शेष			

(स). केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(रु लाख में)

वर्ष		2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (till 12.2017)
प्रारम्भिक अवशेष		11097.51	14497.42	12118.85	11730.27
वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	(क) केंद्रान्श	18751.01	17963.99	20740.25	13198.00
	(ख) राज्यांश	1952.16	3372.00	2836.47	650.18
	(ग) अन्य श्रोतों से	587.88	983.94	602.78	22.14
वर्ष के दौरान कुल प्राप्तियाँ		32388.56	36817.35	36298.35	25600.59
वर्ष के दौरान कुल व्यय		17891.14	24698.50	24568.08	11423.58
अंतिम अवशेष		14497.42	12118.85	11730.27	14177.01

iii). कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून को राज्य योजना एवं केन्द्रीय योजना से बजट आवंटन किया जाता है। गैर-स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई 'अ' श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

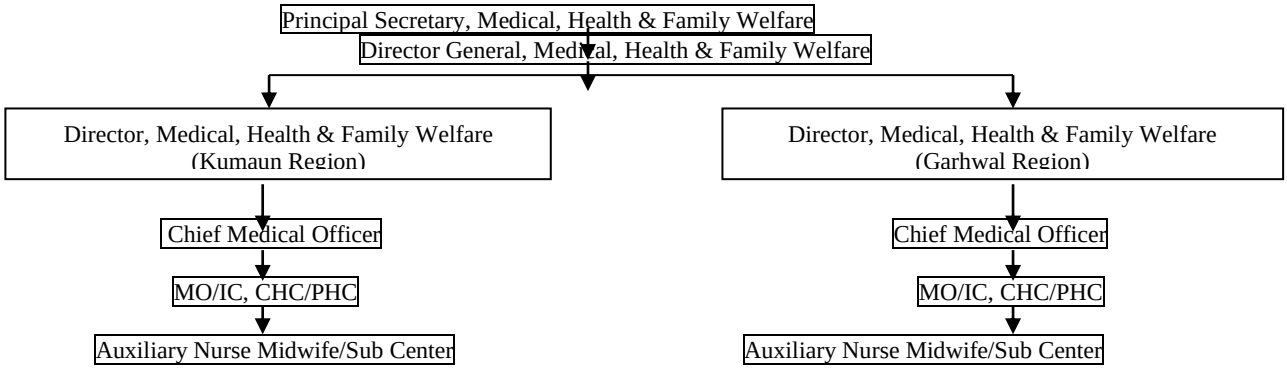

In addition to above organisational structure of NRHM in the State is as under:

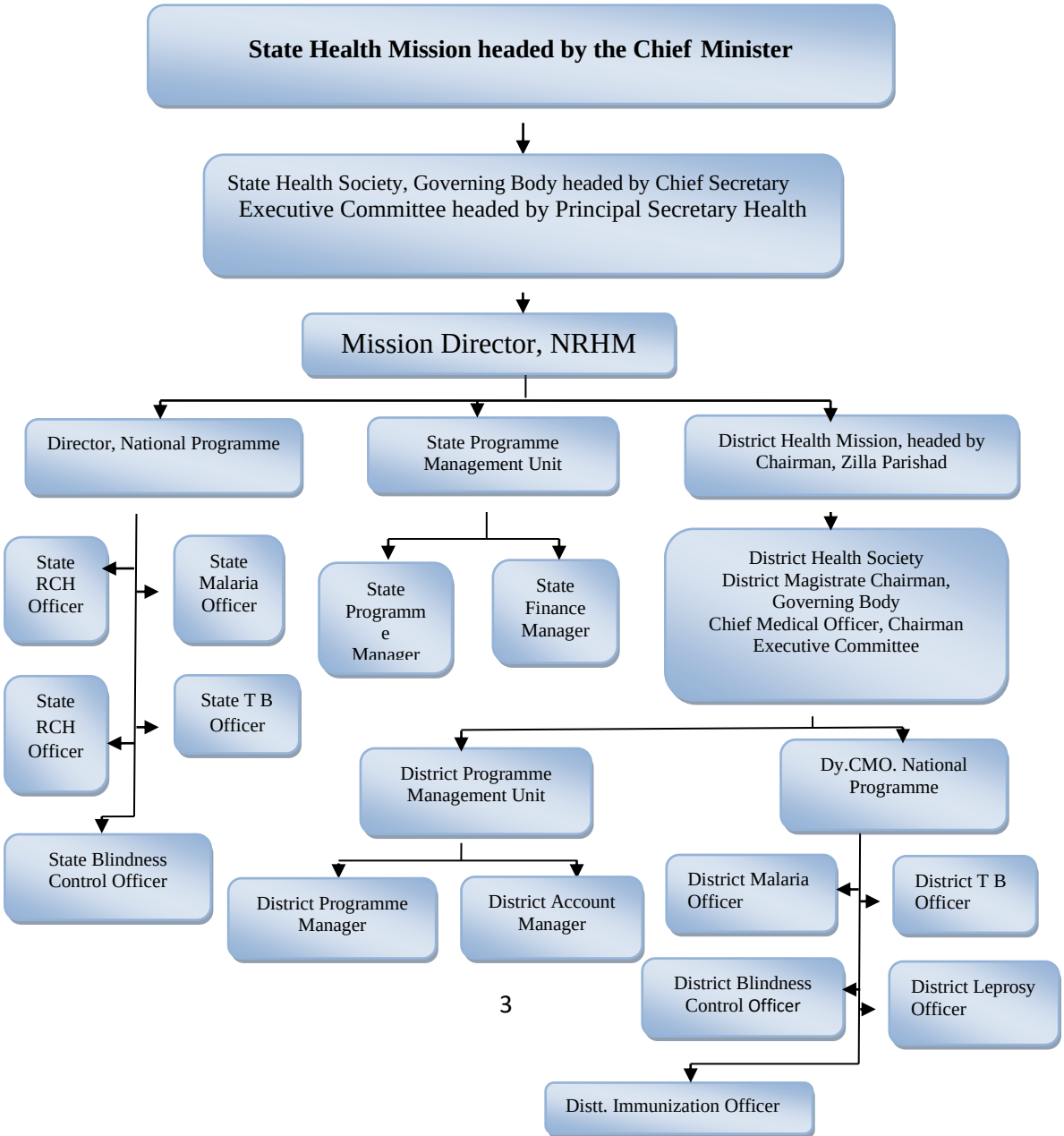

iv). लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः वर्तमान लेखापरीक्षा 01.2017 से 12.2017 तक की अवधि को आच्छादित करते हुए कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून के लेखा-अभिलेखों की नमूना जांच के आधार पर की गयी यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 05.2017 एवं 03.2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

v). लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद- 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13; लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो (अ)

प्रस्तरः 1 रुपया 3.80 करोड़ के राजस्व की हानि।

राज्य सरकार द्वारा फरवरी 2015 में मुख्य मंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना आरंभ की गयी। शुरू में योजना 06 माह के लिए आरंभ की गयी थी, जिसे आगे सितंबर 2017 तक बिस्तारित किया गया। उक्त योजना के अंतर्गत राज्य के समस्त परिवारों (आयकर दाताओं तथा राजकीय कर्मचारी/अधिकारी के परिवारों एवं सेवानिवृत्त पेंशनधारी परिवारों को छोडकर) को आच्छादित किया जाना था एवं उन्हें प्रति वर्ष प्रति परिवार रु 50000 तक का लाभ प्रदान किया जाना था। कुल चयनित एवं आच्छादित परिवारों के सापेक्ष बीमा कंपनी को प्रति परिवार प्रति वर्ष रु 335 प्रीमियम धनराशि का भुगतान किया जाना था। उक्त योजना के संचालन हेतु प्रथम चरण में यूनाइटेड इंडिया इनस्यौरैंस कंपनी के साथ तथा द्वितीय चरण में बजाज आलियंज जनरल इनस्यौरैंस कंपनी के साथ अनुबंध किया गया, अनुबंध के अनुसार एंपेनल्ड चिकित्सालय द्वारा लाभार्थी के चिकित्सालय से डिस्चार्ज होने के सात दिन के अंदर लाभार्थी की चिकित्सा से संबन्धित सभी वांछित दस्तावेज़ ऑनलाइन अपलोड किए जाने थे। चिकित्सालय द्वारा नेट कनेक्टिविटी अथवा अन्य कारण से वांछित दस्तावेज़ ऑनलाइन अपलोड करने में असमर्थ रहने की स्थिति में, अपने भुगतान हेतु दावों को अधिकतम दस दिन के अंदर इलेक्ट्रोनिकली अथवा मेनुयली बीमा कंपनी को प्रस्तुत किए जाने थे। चिकित्सालय द्वारा भुगतान हेतु दावों को प्रस्तुत करने में हुई देरी के कारणों को बीमा कंपनी को सूचित करना था, यदि दावे 30 दिन के अंदर बीमा कंपनी को प्रस्तुत किए जाते हैं तो, बीमा कंपनी इस आधार पर दावों को अस्वीकार नहीं करेगी कि दावे 10 दिन के अंदर प्राप्त नहीं हुए अथवा निर्धारित प्रपत्र में नहीं थे। इसके अतिरिक्त जनपद स्तर पर प्राप्त समस्याओं, स्टेट नोडल अजेंसी और बीमा कंपनी से संदर्भित समस्याओं के निराकरण हेतु एसजीआरसीएवं डीजीआरसी की बैठकों का आयोजन किया जाना था।

अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि योजना के आरंभ से अब तक यूनाइटेड इंडिया इनस्यौरैंस कंपनी तथा बजाज आलियंज जनरल इनस्यौरैंस कंपनी को प्रीमियम के रूप में क्रमशः रु 38.79 करोड़ एवं रु 28.64 करोड़ यानि कि कुल रु 67.43 करोड़ का भुगतान किया गया। अप्रैल 2015 से जुलाई 2016 तक एम्पेनेल्ड राजकीय चिकित्सालयों द्वारा यूनाइटेड इंडिया इनस्यौरैंस कंपनी को रु 15.20 करोड़ मूल्य के 29021 दावे प्रस्तुत किए गए, जिसके सापेक्ष कंपनी द्वारा रु 9.67 करोड़ के 22954 दावे स्वीकार किए गए एवं रु 0.6974 करोड़ के 1408 दावे अस्वीकार किए गए। इसी प्रकार अगस्त 2016 से सितंबर 2017 तक एम्पेनेल्ड राजकीय चिकित्सालयों द्वारा बजाज आलियंज जनरल इनस्यौरैंस कंपनी को रु 14.59 करोड़ मूल्य के 21058 दावे प्रस्तुत किए गए, जिसके सापेक्ष कंपनी द्वारा रु 5.65 करोड़ के 12184 दावे स्वीकार किए गए एवं रु 1.25 करोड़ के 1739 दावे अस्वीकार किए गए।

आगे, लेखापरीक्षा विश्लेषण में पाया गया सरकार द्वारा 30 सितंबर के पश्चात योजना की अवधि विस्तारित नहीं की गयी, एवं यूनाइटेड इंडिया बीमा कंपनी का अनुबंध 31 जुलाई 2016 को तथा बजाज आलियंज बीमा कंपनी का अनुबंध 30 सितंबर 2017 को समाप्त हो चुका था (P/210A)। परंतु उसके बाद भी योजना को जारी रखते हुए 10 जनवरी 2018 तक 3203 लाभार्थियों को रुपया 1.85 करोड़ का निशुल्क लाभ प्रदान किया गया। निष्कर्ष यह निकलता है कि बीमा कंपनियों को भुगतान की गयी प्रीमियम की धनराशि रुपया 67.43 करोड़ के सापेक्ष मात्र शासन/ विभाग को रुपया 15.32 करोड़ का लाभ प्राप्त हुआ, जबकि निर्धारित समय सीमा के अंदर दावे प्रस्तुत न किए जाने के कारण बीमा कंपनी द्वारा दावे अस्वीकार कर दिये जाने के कारण रुपया 1.95 करोड़ के राजस्व की क्षति हुई। इसके अतिरिक्त बीमा कंपनी के साथ अनुबंध समाप्त हो जाने एवं शासन द्वारा योजना की अवधि को विस्तारित न किए जाने के बाद भी उक्त योजना के अंतर्गत पंजीकृत लाभार्थियों को निशुल्क इलाज प्रदान किए जाने के परिणामस्वरूप, रुपया 1.85 करोड़ की आर्थिक क्षति हुई।

इस प्रकार बीमा कंपनी के साथ हुए अनुबंध की शर्तों का पालन न किए जाने एवं अनुबंध समाप्त होने तथा योजना के बंद हो जाने के बाद भी लाभार्थियों को अदेय लाभ पहुंचाए जाने के जारण विभाग को कुल रुपया 3.80 करोड़ की आर्थिक क्षति पहुंची।

लेखापरीक्षा में बीमा कंपनियों द्वारा दावे अस्वीकार कर दिये जाने के संबंध में इंगित किए जाने पर महानिदेशक ने स्वीकार किया कि अनुबंध कि शर्त के अनुसार निर्धारित अवधि में सुसंगत दस्तावेजों सहित भुगतान दावे प्रस्तुत न किए जाने, भुगतान दावे प्रस्तुत करने के पश्चात बीमा कंपनी द्वारा कि गयी पृच्छाओं का उत्तर न दिये जाने, मरीजों को न्यूनतम अवधि से पहले चिकित्सल्य से छुट्टी दिये जाने एवं गलत पैकेज ब्लॉक कर दिये जाने के कारण बीमा कंपनी द्वारा दावे अस्वीकार किए गए। इसके अतिरिक्त योजना समाप्त होने के बाद भी रोगियों का निःशुल्क इलाज जारी रखने के संबंध में उत्तर दिया कि शासनादेश जारी होने कि प्रत्याशा में इलाज जारी रखा गया। महानिदेशक के उत्तर से स्पष्ट है कि विभाग द्वारा बीमा कंपनी के साथ किए गए अनुबंध कि शर्तों का पालन नहीं किया गया तथा योजना के समाप्त होने के बाद भी अनधिकृत रूप से रोगियों को अदेय निशुल्क इलाज प्रदान किया गया।

इस प्रकार विभाग द्वारा योजना के कार्यान्वयन में वरती गयी लापरवाही के कारण विभाग को रु 3.80 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो (अ)

प्रस्तर: 2 रुपया 240.71 लाख का अधिक भुगतान।

उत्तराखंड आधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के नियम 21- (1) अनुसार संविदा के सम्यक रूप से निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए सफल निविदादाता, जिसके पक्ष में संविदा दी गई हो, से कार्यपूर्ति प्रतिभूति (धरोहर) ली जाएगी। कार्यपूर्ति धरोहर प्रत्येक सफल निविदादाता से, उनके पंजीकरण की प्रास्थिति आदि पर ध्यान दिये बगैर, ली जायेगी। अनुबन्ध में निहित धनराषि के मूल्य को दृष्टि में रखते हुए कार्यपूर्ति प्रतिभूति संविदा के मूल्य की 5 प्रतिषत् से 10 प्रतिषत् होनी चाहिए। कार्यपूति प्रतिभूति वाणिज्यिक बैंक से निर्गत आदाता के नाम (एकाउन्ट पेई) डिमान्ड ड्राफ्ट, सावधि जमा रसीद या बैंक गारन्टी, जिस स्वरूप में विभाग/सक्षम प्राधिकारी के हित सभी प्रकार से सुरक्षित करने के लिए आवश्यक हो, ली जाय।

मई 2013 एवं अगस्त 2013 मे महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, देहरादून (The Concessioning Authority) द्वारा शील नर्सिंग होम प्राइवेट लिमिटेड, बरेली, उत्तर प्रदेश (Concessionaire) एवं राजभरा मेडीकेयर लिमिटेड के साथ राज्य में क्रमशः आठ[1] एवं चार[2] कुल बारह सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड मे संचालन हेतु पाँच वर्ष की अवधि के लिए Concession Agreement किया गया था। जिसमे से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, चौखुटिया, लोहाघाट एवं बाजपुर (पैकेज-II) के संचालन हेतु शील नर्सिंग होम प्राइवेट लिमिटेड एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, थत्यूर, नौगाँव एवं सहिया (पैकेज-III) के संचालन हेतु राजभरा मेडीकेयर लिमिटेड के साथ किया गया अनुबंध क्रमशः अक्टूबर 2016 एवं नवम्बर 2016 में समाप्त किया जा चुका था। अनुबंध के अनुसार Concessionaire द्वारा अनुबंध के Schedule-9 मे दर्शाये गए 12 clinical staff एवम 30 paramedical staff की schedule-5 मे दर्शायी गयी योग्यता एवम अनुभव के आधार पर नियुक्ति करनी थी, तथा उक्त स्टाफ की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु संबन्धित software के साथ GPS Enabled Biometric Attendance system स्थापित करना था। समस्त स्टाफ द्वारा duty hours की शुरुआत एवम समाप्ति पर उक्त सिस्टम मे उपस्थिति दर्ज करनी थी, तथा biometric system का डाटा वैबसाइट पर भी अपलोड करना था ताकि आवश्यकता होने पर शासन द्वारा भी उसे देखा जा सके। प्राइवेट पार्टनर को fixed grant एवं variable ग्रांट का भुगतान करना था। यदि Concessionaire अनुबंध के शैड्यूल-10 मे उल्लिखित KPIs को प्राप्त नहीं करता तो पूर्ण त्रेमास हेतु देय भुगतान से 6 से 10 प्रतिशत कम KPIs प्राप्त करने पर 5 प्रतिशत, 11 से 15 प्रतिशत कम KPIs प्राप्त करने पर 15 प्रतिशत, 16 से 20 प्रतिशत कम KPIs प्राप्त करने पर 25 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत से अधिक प्रतिशत कम KPIs प्राप्त करने पर 40 प्रतिशत की कटौती की जानी थी

[1] गैरसेन (चमोली), मुंसियारी (पिथोरागढ़), कपकोट (वागेश्वर), गरमपानी (नैनीताल), जखोली (रुद्रप्रयाग, चौखुटिया (अल्मोड़ा), लोहाघाट (चम्पावत), बाजपुर (उधम सिंह नगर)।

[2] सहिया, रायपुर (देहारादून), नौगाँव (उत्तरकाशी), थत्युर (टिहरी)

तथा show cause notice भी जारी करना था। अभिलेखों की संवीक्षा मे पाया गया कि अनुबंध के आरंभ से अब तक concessionaires द्वारा अनुबंध के Schedule-9 मे दर्शाये गए 12 clinical staff शत प्रतिशत तैनाती सुनिश्चित नहीं की गयी थी। स्टाफ की उपस्थिती एवं KPIs के पारदर्शक निर्धारण हेतु संबन्धित software के साथ GPS Enabled Biometric Attendance system स्थापित नहीं किया गया। प्रारम्भ से सितंबर 2017 तक शील नर्सिंग होम प्राइवेट लिमिटेड, बरेली, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुंसियारी एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, चौखुटिया में Key Performance Indicators (KPIs) मे क्रमशः 7.70 से 25.80 प्रतिशत एवं 14.99 से 20.86 प्रतिशत तक कमी रही। इसी प्रकार प्रारम्भ से नवम्बर 2016 तक राजभरा मेडीकेयर लिमिटेड द्वारा संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, थत्यूर, नौगाँव एवं सहिया मे KPIs क्रमशः 12.79 से 69.65 प्रतिशत, 19.6 से 31.03 प्रतिशत एवं 14.23 से 18.98 प्रतिशत तक कमी रही आगे, भुगतान देयकों की जांच में पाया गया कि महानिदेशक द्वारा सेवा प्रदाता फ़र्मों द्वारा प्रस्तुत किए गए देयकों की एग्रीमेंट मे दर्शाये गए KPIs एवम Incentive Mechanism के framework मे दर्शाये गए फॉरमूले के अनुसार पूर्ण रूप से जांच किए बिना देयकों को भुगतान हेतु शासन को अग्रसारित किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप प्राइवेट पार्टनर शील नर्सिंग होम प्राइवेट लिमिटेड, बरेली, उत्तर प्रदेश को, देय धनराशि से रुपया 105.98 लाख का अधिक भुगतान किया गया तथा राजभरा मेडीकेयर लिमिटेड को रुपया 134.73 लाख का अधिक भुगतान किया गया। आगे, अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि शील नर्सिंग प्राइवेट लिमिटेड के अनुबंध का मूल्य रुपया 10649.06 लाख था जिसके सापेक्ष मात्र रुपया 30.00 लाख की कार्यपूर्ति धरोहर प्राप्त की गयी एवं इसी प्रकार राजभरा मेडीकेयर लिमिटेड का अनुबंध मूल्य रुपया 4408.25 लाख था जिसके सापेक्ष भी मात्र रुपया 30.00 लाख की कार्यपूर्ति धरोहर प्राप्त की गयी। जबकि अनुबंध के मूल्य के अनुसार शील नर्सिंग प्राइवेट लिमिटेड एवं राजभरा से क्रमशः न्यूनतम पाँच प्रतिशत रुपया 532.45 लाख एवं रुपया 220.41 लाख कार्यपूर्ति धरोहर प्राप्त की जानी चाहिए थी। परंतु विभाग द्वारा अनुबंध कर्ताओं से अधिप्राप्ति नियमावली के प्रविधान का उल्लंघन करते हुए क्रमशः रुपया 502.45 लाख एवं 190.41 कम कार्यपूर्ति धरोहर प्राप्त की गयी थी।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर महानिदेशक ने उत्तर दिया कि संबन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा दी गयी भुगतान की संस्तुति के आधार पर संस्था को भुगतान किया जाता है, दर्शाये गए अतिरिक्त भुगतान को संस्था द्वारा प्रस्तुत आगामी महों के बीजकों/बैंक गारंटी से कटौती की जा सकती है। विभाग द्वारा समय-समय पर संस्था को अनुबंध के तहत क्लिनिकल स्टाफ एवं चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किए जाते रहे, अनुबंध के अनुसार कार्य संपादित न किए जाने के फलस्वरूप नवम्बर 2016 में अनुबंध समाप्त कर दिया गया। नियमानुसार कार्यपूर्ति धरोहर न लिए जाने के संबंध में कहा कि कम कार्यपूर्ति धरोहर लिए जाने के संबंध में शासन स्तर से निर्णय लिया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्यूंकी;

अंतिम स्तर पर संबन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा भुगतान हेतु अग्रसारित देयकों की पूर्ण जांच के उपरान्त अनुबंध मे KPIs एवम Incentive Mechanism के framework मे दर्शाये गए फॉरमूले के अनुसार महानिदेशालय द्वारा भुगतान किया जाना चाहिए था, परंतु महानिदेशालय द्वारा अनुबंध में दर्शाये गए फोर्मूले के अनुसार जांच किए बिना ही भुगतान किया गया;

- निजी संचालकों द्वारा प्रारम्भ से ही अनुबंध की शर्त के अनुसार वांछित चिकित्सकीय स्टाफ की तैनाती नहीं की गयी एवं GPS Enabled Biometric Attendance system स्थापित नहीं किया गया, परंतु विभाग द्वारा लगभग चार वर्ष बाद अनुबंध समाप्त करने की कार्यवाही की; एवं
- अनुबंध महानिदेशालय स्तर से किया गया था एवं उसमे कार्यपूर्ति धरोहर के रूप में रुपया 30.00 लाख का उल्लेख किया गया था, अतः अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार पाँच वर्ष के अनुबंध की लागत के अनुसार कम से कम पाँच प्रतिशत धरोहर राशि का उल्लेख किया जाना चाहिए था।

इस प्रकार अनुबंध की शर्तो के अनुसार देयकों से अपेक्षित कटौती किए जाने एवं समय से निजी संचालकों के विरुद्ध उचित कार्यवाही कर संविदा भंग हेतु कार्यवाही किए जाने में वरती गयी शिथिलता एवं लापरवाही के कारण न कि जनसाधारण गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित रहा बल्कि प्राइवेट पार्टनर को देय धनराशि से रुपया 240.71 लाख का अधिक भुगतान भी किया गया। यदि अनुबंध की शर्तो के अनुसार देयकों से अपेक्षित कटौती की गयी होती तो रुपया 240.71 लाख का अधिक भुगतान से बचा जा सकता था एवं यदि निजी संचालकों से अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार कार्यपूर्ति धरोहर की धनराशि प्राप्त की गयी होती तो प्राप्त की गयी कार्यपूर्ति धरोहर की धनराशि से अतिरिक्त भुगतान की धनराशि को वसूल किया जा सकता था।

प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग -दो (ब)

प्रस्तर 1:- स्वीकृति के 08 वर्षो बाद भी कार्यों का अपूर्ण रहना।

महानिदेशक,चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून के अभिलेखों की जाँच के दोरान पाया गया की जिला योजना के अंतर्गत राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय कामला देहरादून के मुख्य भवन, टाइप-4 के एक आवास, टाइप-2 के एक एवं टाइप-1 के दो आवासों के निर्माण हेतु दिसम्बर 2006 में रु 30.00 लाख एवं फरवरी 2009 में रु 22.54 लाख तथा कुल धनराशि रुपया 113.32 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कार्यदायी संस्था पेयजल निगम, को उक्त कार्य हेतु रुपया 113.32 लाख अवमुक्त की जा चुकी थी। एवं सामुदायिक स्वास्थ केंद्र कालसी, चकराता का निर्माण कार्य हेतु वर्ष 2009-10 में निर्माण कार्य हेतु रुपया 486.00 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी। उक्त कार्यों को कार्यदाई संस्था को पेयजल निगम को आबंटित किया गया था। कार्यदाई संस्थाओं को स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष मार्च 2017 तक रुपया 431.21 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी थी, जिसके सापेक्ष कार्यदाई संस्थाओं द्वारा रुपया 393.79 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी थी एवं रुपया 92.21 लाख की धनराशि कार्यदाई संस्थाओं के पास अवशेष पड़ी हुई थी उपरोक्त कार्य मार्च 2016 तथा दिसम्बर 2015 में पूर्ण होने थे इस संदर्भ में कुल धनराशी 507.11 लाख का व्यय किया जा चूका हे परन्तु 08 वर्ष बीत जाने के उपरांत बी कार्य अपूर्ण हे अभिलेखों की जांच मे पाया गया कि राजकीय एलोपेथिक चिकित्सालय कामला का निर्माण मार्च 2016 तक पूर्ण होना था परन्तु कार्य अभी तक अपूर्ण है। इस संदर्भ मे विभाग से पूंछे जाने पर विभाग ने उत्तर में बताया की बिन्दुओ पर सुचना उपलब्द कराए जाने हेतु मुख्य चकित्सा अधिकारी देहरादून को दिनाक 18-01-2018 एवं 19-01-2018 को पत्र प्रषित किये जा चुके हे ओर सुचना प्रापत होते ही कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) देहरादून को उपलब्द करा दी जाएगी विभाग का उत्तर मान्य नही हे अतः प्रकरण उचाधिकरियो के संज्ञान में लाया जाता हे

भाग- दो (ब)

प्रस्तर- 2:- वेतन मद में धनराशि रु **75.86** लाख का भुगतान हो जाने के पश्चात भी शासनादेश की अनदेखी किया जाना ।

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या- 2प/ रा0पु0/ 23/ 2014/ 12665 देहरादून दिनांक- 10 जून 2016 द्वारा पठित शासनादेश संख्या- 684/ xxviii- 3-2016- 76/ 2015 दिनांक 03.06.2016 में वर्णित है कि चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में नियुक्त ऐसे कार्मिक जो अपने मूल तैनाती स्थान से अन्यत्र सम्बद्ध किये गए हैं, का सम्बद्धीकरण तत्काल रूप से समाप्त की जाए।

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून के लेखा-अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि महानिदेशालय के आदेश दिनांक 21.12.2017 द्वारा डॉ0 प्रसून श्योरान, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (*मूल कार्यालय- अति.प्रा.स्वा.केन्द्र, जौरासी, अल्मोड़ा*) एवं डॉ0 कुलदीप सिंह मर्तोलिया, चिकित्सा अधिकारी ग्रेड-1, (*मूल कार्यालय- सा.स्वा.केन्द्र, भीमताल, अल्मोड़ा*) को उनके मूल तैनाती स्थानों से कार्यालय स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून में सम्बद्ध किया गया था एवं उनके वेतन एवं भत्ते उनके मूल कार्यालयों से उक्त शासनादेश संख्या- 684/ xxviii- 3-2016-76/ 2015, दिनांक 03.06.2016 की अवहेलना करते हुये आहरित किये जा रहे थे। *आगे,* नमूना लेखा परीक्षा जांच में यह भी पाया गया कि शासनादेश दिनांक 06.07.2016 द्वारा डॉ0 एस.के.गुप्ता, अपर निदेशक; शासनादेश दिनांक 24.09.2014 द्वारा डॉ0 हरलीन कौर सन्धू, संयुक्त निदेशक एवं शासनादेश दिनांक 25.10.2016 द्वारा श्रीमती सरिता रावत, कनिष्ठ सहायक के मूल कार्यालय "कार्यालय स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून" है, जबकि इनको इनके मूल कार्यालय के इतर अन्य कार्यालयों क्रमश: "दून मेडिकल कालेज, देहरादून; *मुख्य स्थानिक आयुक्त कार्यालय उत्तराखण्ड, नई दिल्ली* एवं चिकित्सा अनुभाग- 3, उत्तराखण्ड शासन" में वर्तमान समय में तैनात किया गया था। उक्त शासनादेश संख्या- 684/ xxviii- 3-2016-76/ 2015, दिनांक 03.06.2016 (जून 2016) के प्रकाश में आने पश्चात भी कार्यालय महानिदेशक द्वारा अन्य कार्यालयों में संबद्धीकृत अधिकारियों/कर्मचारी पर कुल धनराशि रु **75,85,816**/- (*38,35,254+34,05,362+3,45,200*) का व्यय वेतन एवं भत्तों के रूप में किया जा चुका था, जबकि संबद्धीकृत अधिकारी/कर्मचारी अन्य कार्यालयों में तैनात थे।

इस सन्दर्भ में लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर महानिदेशक ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए कहा कि "उक्त शासनादेश दिनांक 03.06.2016 द्वारा चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में नियुक्त ऐसे कार्मिक जो अपने मूल तैनाती स्थान से अन्यत्र तैनात है को तत्काल संबद्धीकरण समाप्त किया गया है, इस संबंध में कार्यवाही प्रचलित है"। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योकि शासनादेश संख्या- 684/ xxviii-3-2016-76/ 2015 दिनांक 03.06.2016 का उलंघन किया गया था ।

अतः वेतन मद में धनराशि रु 75.86 लाख का भुगतान हो जाने के पश्चात भी शासनादेश की अनदेखी किये जाने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

भाग – दो (ब)

प्रस्तर 3:- धनराशि रु **0.57** करोड़ के उपकरणों का अनुपयोगी पड़े रहना I

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून के उपकरणों सम्बन्धी लेखा-अभिलेखों में रु1 लाख एवं रु1 लाख से ऊपर की धनराशि से क्रय किए गए उपकरणों सम्बन्धी अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि अवधि "माह 04.2005 से वर्ष 2014" के दौरान धनराशि रु 32,31,759/- (amount of non-installed equipments) के उपकरण कार्यालय महानिदेशक द्वारा क्रय किए गए थे, जो 4 वर्ष से 13 वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी लेखापरीक्षा अवधि के माह 12.2017 तक install ही नहीं किए गए थे। साथ ही, नमूना लेखापरीक्षा जांच में यह भी पाया गया कि अवधि "माह 03.2014 से माह 01.2017" के दौरान धनराशि रु 24,62,215/- (amount of installed but non-functional equipments) के उपकरण कार्यालय महानिदेशक द्वारा क्रय किए गए थे, जो 1 वर्ष से 4 वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी लेखापरीक्षा अवधि के माह 12.2017 तक install तो थे, परन्तु अकार्यशील पड़े हुये थे। विवरण:-

Details of Not-installed equipments:

(As per DG Health letter No. 15प/ भण्डार/ 46/ 2017, dated- 28 दिसम्बर, 2017)

S. N.	Hospital details	Type of equipment	Purchase month/ year	Purchase cost (Rs)	Present status	Remark, if any
1	CHC, Narsan, Haridwar	Dental Chair	04.2005	216320	Not-installed	technician not available
2	CMSD Store Haridwar	Single puncture Laproscope for family planning	02.2009	262500	Not-installed	demand not generated by district
3	SPS Govt. Hospital, Rishikesh, Dehradun	Auto coagumeter	2012	284469	Not-installed	-
4	District Hospital, Almora	Ventilator- incent	2005	159000	Not-installed	-
5	CHC, Chaukhutiya, Almora	Ultrasound Machine	2014	677250	Not-installed	-
6	Soban Singh Jeena Base Hospital, Halwani, Nainital	R.O. Water treatment plant	2005-06	285000	Not-installed	-
7	Soban Singh Jeena Base Hospital, Halwani, Nainital	Hemodylasis	2005-06	1084720	Not-installed	-
8	CHC Purola, Uttarkashi	Laproscope	04.2009	262500	Not-installed	-
			Total =	**32,31,759/-**		

Details of installed but Non-Functional equipments:

(As per DG Health letter No. 15प/ भण्डार/ 46/ 2017, dated- 28 दिसम्बर, 2017)

Hospital details	**Type of equipment**	**Purchase month/ year**	**Purchase cost (Rs)**	**Present status**	**Remark, if any**	अनुउपयोग का माह / वर्ष
CMSD Store Haridwar	Skill Lab Manniquines	01.2017	1771210	Installed & non-funtional	Skill Lab unit not working	Month 01.2017
CHC, Joshimath, Chamoli	Ultrasound	2015	497805	Non-funtional	Non-availability of specialist	Month 06.2017
CHC, Ghaat, Chamoli	X-ray machine	03.2014	193200	Non-funtional	Non-availability of specialist & technician	Month 03.2014
		Total =	**24,62,215/-**			

उपरोक्त उपकरणों के क्रय से पूर्व संबन्धित चिकित्सालयों में 'टेक्निशीयन एवं विशेषज्ञ की तैनाती की स्थिति' सुनिश्चित नहीं की गई थी। कुल क्रय धनराशि रु **56,93,974/- (32,31,759 + 24,62,215)** के चिकित्सा उपकरण माह 04.2005 से लेखापरीक्षा अवधि के माह 12.2017 तक विशेषज्ञ व टेक्नीशियन न होने एवं अन्य कारणों से निष्क्रिय पड़े हुये थे।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर महानिदेशक ने उत्तर दिया कि "उल्लिखित उपकरणो के Installation का प्रयास किया जा रहा है एवं उल्लिखित उपकरणो के सापेक्ष Technician की तैनाती किए जा रहे है "। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योकि चिकित्सालय प्रशासन की उदासीनता के कारण धनराशि रु 32,31,759/- के उपकरण 4 वर्ष से 13 वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी install ही नहीं किए गए थे एवं धनराशि रु 24,62,215/- के उपकरण installation के बावजूद 1 वर्ष से 4 वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी अकार्यशील पड़े हुये थे।

अत: धनराशि रु 0.57 करोड़ के उपकरणों का अनुपयोगी पड़े रहने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग दो- (ब)</u>

प्रस्तर **4:-** धनराशि रू**. 92,200**/-की वसूली।

वित्त संसाधन (विविध) अनुभाग के शासनादेश संख्या- 710/ दस स नित -97, दिनांक 29 मई 1999 के अनुसार- यदि किसी अधिकारी को राजकीय वाहन आबंटित है, वह उसका निजी उपयोग करे या ना करे, उसके वेतन से प्रति माह (पेट्रोल कार के लिए रुपया 500/- व जीप के लिए रुपया 400/- की)राजकीय वाहन भत्ता (G.V.R.) कटौती की जानी चाहि,एवं संशोधित शासनादेश संख्या -84/ XXVII (7)50 (06)/ 2017, दिनांक- 07 जून 2017 के अनुसार मई 2017 से रुपया 2,000/- की कटौती की जानी चाहिए। जिन अधिकारियो को वाहन आवंटित है उनको वाहन भत्ते का भुगतान नहीं किया जाना चाहिए।

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं पारिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून के वेतन बिल पंजिका की नमूना लेखापरीक्षा जांच मे पाया गया कि कार्यालय के अधिकारियों को राजकीय वाहन आबंटित किया गया था, परंतु उनके वेतन से शासनादेश में दिये गए प्राविधान के अनुसार वसूली राजकीय वाहन भत्ता (G.V.R.) की कटौती नहीं की जा रही थी | इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि अधिकारी को वाहन आबंटित होने के वावजूद भी वाहन भत्ते का भुगतान भी किया जा रहा था। जिसका विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया हैं |

अधिकारियों का नाम एवं पदनाम	**वाहन आवंटित** अवधि		कुल माह	**प्रतिमाह की दर से वसूली की जाने वाली** धनराशि (रु)
	कब से	कब तक		
डॉ.भारती राणा (अपर निदेशक)	01.03.2016	31.12.2017	22	22x2700 =59,400/- (वाहन भत्ता)
श्री ताजबर सिंह (औषधि नियंत्रक)	01.08.2015	31.05.2017	28	28X400=11200 (G.V.R)
डॉ दलबीर सिंह रावत (निदेशक)	01.01.2017	30.08.2017	08	08x2700=21,600/-(वाहन भत्ता)
			योग	रु **92,200 /-**

लेखापरीक्षा द्वारा इस ओर इंगित किये जाने पर इकाई ने तथ्यों एवं आकड़ो की पुष्टि करते हुए उत्तर दिया है कि आवश्यक कार्यवाही कर लेखापरीक्षा को अवगत करा दिया जायेगा।

उत्तर मान्य नही है क्योकि शासनादेश का उल्लंघन करते हुए धनराशि रु 92,200 अधिक भुगतान सम्बंधित अधिकारियो को किया गया .

अतः प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

<u>STAN</u>

प्रस्तर- **1:-** रु **3.43** करोड़ के व्यय धनराशि की प्रविष्टि रोकड़-बही में न किया जाना।

शासन के पत्रांक सं०- 3/ xxvii (6)/ 2013, दिनांक 02 जनवरी 2013 के बिंदु संख्या 4.9 में ई-पेमेंट प्रणाली में दिए गये दिशा-निर्देशों के अनुसार 'आहरण एवं संवितरण अधिकारी इन्टरनेट की सहायता से अपने देयकों की धनराशि सम्बंधित के बैंक खातें में अंतरण हो जाने के विवरण का प्रिंट प्राप्त करेंगे तथा भुगतान सम्बंधित अभिलेखों – यथा 11 सी पंजिका, कैशबुक, बिल रजिस्टर आदि में इनके प्राप्त होने की प्रविष्टि यथा स्थान पर करेंगे I इसके अतिरिक्त, Form BM- 05 में DDO द्वारा सम्बंधित माह में किये गये लेनदेनों के सत्यापन हेतु स्पष्ट रूप से वर्णित है कि ''Certified that all the drawals shown in the statement are correct except the followings ones (if any) which have not been made by me'' and ''Besides the above the following are also the drawals (if any) by me during the month which have not been shown in the statement.''

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून की रोकड़बही की नमूना जाँच में पाया गया कि चयनित माहों मार्च 2017 (विस्तृत जाँच) एवं सितम्बर 2017 (अंकगणितीय जाँच) में BM -05 में दर्शित वेतन एवं अन्य भत्तो से संबन्धित कुल व्यय रू **231,27,825**/- की सकल धनराशि (Gross Amount) को रोकड़-बही में नहीं दर्शाया गया था। साथ ही, Form BM- 05 में DDO द्वारा सम्बंधित माहों में किये गये लेनदेनों के सत्यापन करके संबन्धित प्रमाण-पत्र कोषागार में प्रेषित भी नहीं किए गये थे । साथ ही, नियमानुसार "Each and every transaction should be recorded in the cash book", परन्तु प्रत्येक आहरण के सम्मुख DDO द्वारा आद्याक्षर (initials) न किए गए थे; रोकड़बही के प्रथम पृष्ठ पर रोकड़बही में दर्ज सम्पूर्ण पृष्ठों से संबन्धित प्रमाणपत्र अंकित नहीं थी एवं रोकड़-बही में निर्धारित प्रारूप में DDO द्वारा मासिक लेखाबन्दी (monthly closing) भी नहीं की गई थी।

इस सन्दर्भ में लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर महानिदेशक ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए कहा कि "शासनादेशानुसार भविष्य में कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी"। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि शासन के पत्रांक सं०- 3/ xxvii(6)/ 2013, दिनांक 02 जनवरी 2013 के दिशा-निर्देश का उलंघन किया गया था।

अतः रु 3.43 करोड़ के व्यय धनराशि की प्रविष्टि रोकड़-बही में न जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

STAN

<u>प्रस्तर</u>- **2:-** विविध प्राप्तियों की धनराशि रु **0.69** लाख का अवरुद्ध रखा जाना।

वित्तीय हस्तपुस्तिका (Volume- v, Part-1), **Rule 22(iii)** के अनुसार स्पष्ट वर्णित है कि "The money received on behalf of the Central or other State Government shall be deposited into the Treasury or Bank" एवं **Rule 21** के अनुसार स्पष्ट वर्णित है कि "All money received by or tendered to Government servants in their official capacity, shall ***<u>without undue delay</u>*** be paid in full into the treasury or into the Bank and shall be included in the Government account. The money received as aforesaid shall not be appropriated to meet departmental expenditure, nor otherwise kept apart from the Government Account.

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून की <u>सूचना का अधिकार अधिनियम 2005</u> से संबन्धित लेखा-अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि दिनांक 02.09.2006 से 09.01.2018 तक प्राप्त कुल धनराशियाँ रु **68,606/-** थी, जिसको अब तक चालान के माध्यम से कोषागार में जमा करने के बजाय लोक सूचना अधिकारी, स्वास्थ्य निदेशालय, देहरादून के नाम पर पंजाब नैशनल बैंक, रेस कोर्स, देहरादून में बैंक खाता संख्या- 1532 0001 0126 8407 में जमा कर अवरुद्ध पायी गई। उक्त प्राप्त धनराशियों की प्रविष्टियाँ रोकड़-बही में नहीं की गई थी। उपरोक्त धनराशि चालान फार्म के माध्यम से कोषागार में वर्तमान समय से लेकर लगभग 12 वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी जमा नहीं कराया गया था, जबकि प्राप्त धनराशियों को यथाशीघ्र कोषागार में जमा किया जाना चाहिए था। उक्त धनराशियों को अब तक कोषागार में जमा न किए जाने पर इस धनराशि का कार्यालय के अन्य कार्यों में व्यय हो जाने की प्रत्याशा से भी इंकार नहीं म्किया जा सकता था। अतएव: सरकारी धन को कोषागार में जमा करवाने के संबंध में कार्यालय की उदासीनता प्रकट हुई।

इस सन्दर्भ में लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर महानिदेशक ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए कहा कि "यथाशीघ्र कार्यवाही कर लेखापरीक्षा को अवगत करा दिया जाएगा" । उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वर्तमान समय से लेकर लगभग 12 वर्ष ब्यतीत हो जाने के पश्चात भी प्राप्त धनराशियों को ट्रेजरी मे जमा नहीं कराये जाने में कार्यालय की उदासीनता के कारण राजस्व प्राप्ति में देरी के साथ- साथ उक्त धनराशि का कार्यालयीन कार्यों में व्यय हो जाने की संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता था।

अतः विविध प्राप्तियों की धनराशि रु 0.69 लाख को कोषागार में जमा करने के बजाय अवरुद्ध रखे जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है ।

<u>STAN</u>

<u>प्रस्तर</u>- **3:-** धनराशि रू **64,680/-**की वसूली।

कार्यालय में कार्यरत अधिकारियो/कर्मचारियों जिन्हें आवास आवंटित है उनके वेतन से प्रति माह आवास रख-रखाव हेतु 240/- रुपये एवं आवास भत्ता (HRA) की कटौती की जानी चाहिए | कार्यालय महानिदेशक,चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,उत्तराखण्ड,देहरादून के आवास आवंटित पत्रावली की लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि डा० यू० एस० मेहता (संयुक्त निदेशक) को दिनांक- 01-09-2013 से 31-12-2017 तक आवास आवंटित था, परन्तु डा० मेहता को दिनांक-01-09-2013 से 30-04-2014 तक HRA की एवं दिनांक-01-09-2013 से 31-12-2017 तक आवास रख-रखाव की कटौती नहीं की गयी थी,जिसका विवरण निम्न प्रकार हैं :-

अधिकारियो का नाम :-	आवंटित आवास अवधि	कुल माह	देय धनराशि (रु)
डा० यू० एस० मेहता (संयुक्त निदेशक)	01.09.2013 से 31.12.2017	52	52X240=12,480/- (कटौती न की गयी आवास रख-रखाव की धनराशि)
	01.09.2013 से 30.04.2014	08	08X6525=52,200/- (प्रदान की गयी आवास भत्ते की धनराशि)
		योग =	**64,680/-**

लेखापरीक्षा द्वारा इस ओर इंगित किये जाने पर इकाई ने तथ्यों एवं आकड़ो की पुष्टि करते हुए उत्तर दिया है कि आवशयक कार्यवाही कर लेखापरीक्षा को अवगत करा दिया जायेगा। उत्तर मान्य नही है क्योकि शासनादेश का उल्लंघन करते हुए धनराशि रु 64.680/- अधिक भुगतान किया गया।

अतः प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

<u>भाग-III</u>

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	**STAN**	**TAN**
SS/ AIR- 124/ 2003-04	1,2,3,4,5	---	---	---
SS/ AIR- 53/ 2004-05	1,2,3,4	2,3,4	---	---
SS/ AIR- 104/ 2005-06	1,2,3,	1,2,3,5,6	---	---
SS/ AIR- 137/ 2006-07	1	2	---	---
SS/ AIR- 56/ 2007-08	1,2,3,4	1,2	---	---
SS/ AIR- 13/ 2009-10	---	1,2,3,4	---	---
SS/ AIR- 59/ 2011-12	1,2	1, 2,3	---	---
SS/ AIR- 103/ 2012-13	---	1,2,3,4,5	---	---
SS/ AIR- 194/ 2015-16	1,2,3,4,5,6	1	---	---
SS/ AIR- 156/ 2016-17	1,2,3	1,2	---	1,2,3,4,5,6

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
SS/ AIR- 124/ 2003-04	भाग- **2'अ'** प्रस्तर सं- 1,2,3,4,5; भाग- **2'ब'** प्रस्तर सं- nil **STAN**- Nil एवं **TAN**- Nil	अप्रस्तुत	यथावत रखा जाता हैI	--
SS/ AIR- 53/ 2004-05	भाग- **2'अ'** प्रस्तर सं- 1,2,3,4; भाग- **2'ब'** प्रस्तर सं- 2,3,4; **STAN**- Nil एवं **TAN**- Nil	अप्रस्तुत	यथावत रखा जाता हैI	--
SS/ AIR- 104/ 2005-06	भाग- **2'अ'** प्रस्तर सं- 1, 2, 3; भाग- **2'ब'** प्रस्तर सं- 1,2,3,5,6; **STAN**- Nil एवं **TAN**- Nil	अप्रस्तुत	यथावत रखा जाता हैI	--
SS/ AIR- 137/ 2006-07	भाग- **2'अ'** प्रस्तर सं- 1; भाग- **2'ब'** प्रस्तर सं- 2; **STAN**- nil; एवं **TAN**- Nil	अप्रस्तुत	यथावत रखा जाता हैI	--
SS/ AIR- 56/ 2007-08	भाग- **2'अ'** प्रस्तर सं- 1,2,3,4; भाग- **2'ब'** प्रस्तर सं- 1, 2; **STAN**- nil; एवं **TAN**- nil;	अप्रस्तुत	यथावत रखा जाता हैI	--
SS/ AIR- 13/ 2009-10	भाग- **2'अ'** प्रस्तर सं- nil; भाग- **2'ब'** प्रस्तर सं- 1, 2, 3, 4; **STAN**- nil; एवं **TAN**- nil;	अप्रस्तुत	यथावत रखा जाता हैI	--

SS/ AIR- 59/ 2011-12	भाग- **2'अ'** प्रस्तर सं- 1,2; भाग- **2'ब'** प्रस्तर सं- 1, 2, 3; **STAN**- nil; एवं **TAN**- nil;	प्रस्तुत	यथावत रखा जाता हैI	--
SS/ AIR- 103/ 2012-13	भाग- **2'अ'** प्रस्तर सं-nil; भाग- **2'ब'** प्रस्तर सं- 1, 2, 3, 4, 5; **STAN**- nil; एवं **TAN**- nil;	प्रस्तुत	यथावत रखा जाता हैI	--
SS/ AIR- 194/ 2015-16	भाग- **2'अ'** प्रस्तर सं- 1,2,3,4,5,6; भाग- **2'ब'** प्रस्तर सं- 1; **STAN**- nil; एवं **TAN**- nil;	प्रस्तुत	यथावत रखा जाता हैI	--
SS/ AIR- 156/ 2016-17	भाग- **2'अ'** प्रस्तर सं- 1,2,3; भाग- **2'ब'** प्रस्तर सं- 1, 2; **STAN**- nil; एवं **TAN**- nil;	प्रस्तुत	यथावत रखा जाता हैI	--

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

.... शून्य ....

<u>भाग-V</u>

<u>आभार</u>

1). कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून, लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-

अप्रस्तुत अभिलेख: Attached

2). सतत् अनियमितताएः शून्य

3). लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया :

नाम	पदनाम	अवधि
डॉ0 डी. एस. रावत	प्रभारी महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून	01.01.2017 से 31.08.2017 तक
डॉ0 अर्चना श्रीवास्तव	प्रभारी महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून	31.08.2017 से अब तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कर दी गयी, जिसकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे उप-महालेखाकार/ सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून-248001 को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.

<u>संलग्नक</u>

बार बार मौखिक निवेदन एवं लिखित रूप से अनुस्मारक (दिनांक 17.01.2018, 20.01.2018 & 27.01.2018) जारी किए जाने के वावजूद भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संचालित निम्नलिखित कार्यक्रमों के लेखा-अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए:

1). Maternal Health
2). Child Health
3). Family Planning
4). RKSK Programme
5). RBSK Programme
6). PNDT Programme
7). Training
8). ASHA Programme
9). Establishment of Clinical Establishment Act
10). PPP/ NGO
11). Innovations
12). Procurement
13). Drug ware Housing, Free Drug Housing
14). New Initiatives / Strategic Interventions
15). Human Resources
16). National Urban Health Mission

इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित लेखापरीक्षा ज्ञापों के उत्तर एवं संबन्धित सूचना व अभिलेख भी लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए:

लेखापरीक्षा ज्ञाप संख्या- 557/ 79 (पृष्ठ 59 to 61)
लेखापरीक्षा ज्ञाप संख्या- 557/ 83 (पृष्ठ 75 to 76)
लेखापरीक्षा ज्ञाप संख्या- 557/ 82 (पृष्ठ 71 to 73)
लेखापरीक्षा ज्ञाप संख्या- 557/ 87 (पृष्ठ 89 to 93)
लेखापरीक्षा ज्ञाप संख्या- 557/ 90 (पृष्ठ 115 to 117)
लेखापरीक्षा ज्ञाप संख्या- 557/ 91 (पृष्ठ 119 to 127)
लेखापरीक्षा ज्ञाप संख्या- 557/ 96 (पृष्ठ 165 to 170)

सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी